मार्च,2017 के महत्वपूर्ण प्रयास ....

* अध्यक्ष, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को पत्र प्रेषित कर वर्ष 2017–18 के टैरिफ प्रस्ताव पर आपत्तियाँ प्रेषित की गई ।

* चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई को पत्र लिखकर, न्यूनतम राशि न रखने पर पेनाल्टी लगाए जाने की अनिवार्यता से पुराने खाताधारकों को मुक्त रखे जाने की माँग की गई ।

* ग्वालियर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र प्रारम्भ किए जाने पर केन्द्रीय विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज, केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित नगरीय विकास एवं आवास मंत्री–श्रीमती मायासिंह को पत्र प्रेषित कर, हार्दिक आभार व्यक्त किया गया ।

* चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर–इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड रिव्यू किए जाने की माँग की गई है ।

* ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर की स्थापना किए जाने हेतु मण्डल रेल प्रबंधक, झाँसी एवं महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया ।

* जे. के. टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. के अधिकारियों के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किए जाने पर पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर, डीआईजी, आई. जी., ग्वालियर रेंज, डीजीपी, भोपाल सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री को पत्र प्रेषित कर, झूठी रिपोर्ट की यथाशीघ्र जाँच कराए जाने की माँग की गई ।

* बैंकों द्वारा ट्रांजेक्शन चार्ज व अन्य चार्ज लगाए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली एवं देश की समस्त बैंकों सहित फिक्की, नई दिल्ली तथा फेडरेशन–भोपाल को पत्र प्रेषित कर, देश भर के बैंक खाताधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित चार्ज को वापिस लिए जाने की माँग की गई ।

* रायरू से बहौड़ापुर–गोल पहाड़िया एवं बेला की बावड़ी तक के मार्ग को 4–लेन किए जाने हेतु केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित किया गया ।

* भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र प्रेषित कर, रु. 500 एवं 2000 के लिए हुए नोट को स्वीकार किए जाने हेतु नीति बनाने की माँग की गई है ।

* जिलाधीश, ग्वालियर एवं डीआरएम, झाँसी को पत्र लिखकर, सैनिक पेट्रोल पम्प से तानसेन रोड के लिए स्वीकृत व रेलवे द्वारा निर्मित किए जाने वाले आरओबी के डिजाइन में आवश्यक संशोधन कराकर, तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र के लिए समानान्तर मार्ग बनाए जाने की माँग की गई, ताकि स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को भी इस ओवर ब्रिज का लाभ मिल सके और औद्योगिक क्षेत्र में ट्रकों का आवागमन बगैर किसी अवरोध के संभव हो सके ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री–श्री शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री–श्री राजेन्द्र शुक्ला, प्रमुख सचिव एवं प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर, तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आईआईडीसी, ग्वालियर द्वारा उद्योग आयुक्त, भोपाल की ओर भेजे गए रु. 6 करोड़ 28 लाख की राशि के प्रस्ताव को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान कराने की माँग की गई, ताकि शहर के सबसे पुराने इस औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कों एवं नाले का सुव्यवस्थित निर्माण संभव हो सके ।

* एनएचएआई के निदेशक को पत्र लिखकर, रायरू पर राष्ट्रीय राजमार्ग से भिण्ड की ओर जाने वाले स्थान पर निर्मित सर्किल के वाहन चालकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त स्थान पर यथाशीघ्र सर्किल एवं साइन बोर्ड का

पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने की माँग की गई है, ताकि वाहन चालकों के सम्मुख स्थिति स्पष्ट हो सके और वाहन चालक भ्रमित न हों ।

* ऊर्जा मंत्री, श्री पारसचंद्र जैन, चेयरमैन–श्री संजय कुमार शुक्ला एवं प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुविधा योजना पुनः प्रारम्भ करने की माँग की गई ।

* मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर, रु. 10/– के सिक्के बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने की समस्या से अवगत कराते हुए, इस हेतु सभी बैंकों को उचित दिशा–निर्देश जारी करने की माँग की गई है ।

* कृषि विकास मंत्री, म. प्र. शासन–श्री गौरीशंकर बिसेन एवं आयुक्त–सह–प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पत्र लिखकर, प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण हेतु मंगाए जाने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क में छूट दिए जाने की माँग की गई, ताकि प्रदेश का दाल उद्योग सुचारू रूप से संचालित हो सके ।

* जीएसटी के नवीन प्रावधानों के संबंध में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री–श्री अरुण जेटली को पत्र प्रेषित कर माँग की गई है कि जीएसटी को देश भर में अपने वास्तविक पूर्व निर्धारित स्वरूप/प्रावधानों के तहत् ही लागू करने की माँग की गई है, ताकि देश में यह एक आदर्श कर सुधार साबित होकर, देश के आर्थिक विकास में यह एक रोल मॉडल बन सके ।

* चेम्बर की सदस्य फर्म–मेसर्स मुलतान पेन्ट मार्ट के संचालक–श्री नवीन गोगिया को समीर खाँ नामक व्यक्ति द्वारा धमकी देकर रु. 11 हजार की राशि की अवैध माँग किए जाने पर पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र लिखकर, अपराधी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की माँग की गई ।

* चेम्बर की सदस्य फर्म–मेसर्स स्वामी सर्वानन्द गृह उद्योग की सोयाबीन रिफाइण्ड तेल की एक गाड़ी जिसे दिल्ली के लिए भेजा गया था, जिसमें 300 टीन लदी हुई थी । उपरोक्त गाड़ी मुरैना और बाबा देवपुरी के बीच में कहीं चोरी हो जाने पर पुलिस अधीक्षक, मुरैना को पत्र लिखकर,त्वरित कार्यवाही करने की माँग की गई है, ताकि पीड़ित उद्यमी को उसके माल की प्राप्ति हो सके ।

* देश में दालों के निर्यात को अनुमति प्रदान किए जाने की माँग करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री–श्री रामविलास पासवान को पत्र प्रेषित किया गया ।

* वर्ष 2017–18 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइड लाइन पर आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 मार्च,17 को कम से कम एक सप्ताह बढ़ाए जाने एवं प्रस्तावित गाइड लाइन की प्रति चेम्बर ऑफ कॉमर्स को उपलब्ध कराने सहित जब तक आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित नवीन गाइड लाइन को मंजूरी प्रदान नहीं किए जाने की माँग करते हुए चेम्बर द्वारा महानिरीक्षक पंजीयक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल एवं जिलाधीश, ग्वालियर व जिला पंजीयक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित किए गए ।

* केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री–श्री नितिन गड़करी, महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे एवं डीआरएम, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी मण्डल, झाँसी, कलेक्टर, ग्वालियर, परियोजना निदेशक, एनएचएआई को पत्र लिखकर, मोतीझील स्थित रेलवे लाइन/क्रॉसिंग पर सड़क व पटरी के लेवल को तत्काल एक समान किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश जारी करने की माँग की गई, ताकि भविष्य में पुनः किसी

व्यक्ति की उक्त स्थान पर दर्घटना में जान न जाए । साथ ही, उक्त स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग की अत्यन्त जर्जर स्थिति को भी प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराने की कृपा करें, जिससे वाहन व नागरिक दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सकें ।

* मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी एवं वरिष्ठ डीएससी, आरपीएफ, उ. म. रे. तथा थाना प्रभारी, आरपीएफ पुलिस थाना, ग्वालियर को पत्र लिखकर, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कार्यालय में रेलवे द्वारा लगाई गईं पाम इंप्रेशन मशीनों को निहित स्वार्थों के कारण से तोड़े जाने की घटना की उचित जाँच कराए जाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की माँग की गई है । साथ ही, पाम इंप्रेशन मशीनों को शीघ्र ठीक कराए जाने की भी माँग की गई है ।

* प्रधान आयकर आयुक्त, श्रीमती सरोज देसवाल को संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त आयकर आयुक्तद्वय, श्री जे. पी. तलानिया एवं श्री आर. के. बराल को सौंपकर, माँग की गई कि आयकर विभाग द्वारा शहर के व्यवसाईयों एवं उद्योगपतियों के विरुद्ध लगातार की जा रही सर्वे एवं छापों की कार्यवाही के दौरान व्यवसाईयों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं को रोका जाए तथा आयकर टीम द्वारा छापे की कार्यवाही के दौरान व्यवसाई के साथ शालीनता से पेश आना चाहिए । साथ ही, आयकर विभाग की टीम द्वारा व्यवसाईयों के विरुद्ध ज्यादती नहीं की जाए और जब भी किसी व्यवसाई के यहाँ अगर सर्वे/छापे की कार्यवाही की जाती है, तो इस दौरान चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों एवं संबंधित फर्म के सीए को वहाँ उपिस्थित होने की अनुमति दी जाए, जिससे व्यवसाई भयवीत न हो और वह अपना सहयोग जाँच टीम को कर सके ।

* मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. एवं महाप्रबंधक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., शहर वृत्त को पत्र प्रेषित कर, स्प्रिंग लोडेड बॉक्सों में क्षमता से अधिक कनेक्शन एवं ओवर लोडेड भार होने से गर्मी के मौसम में तापमान में काफी वृद्धि हो जाने से आए दिन आग लगने की घटनाओं को होने से रोके जाने की माँग की गई । पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से माँग की गई है कि ऐसे बॉक्स जो कि मानक स्तर के नहीं है, उन्हें संबंधित कं. से सख्ती के साथ बदला जाए । साथ ही, पोल पर क्षमता के अनुरूप बॉक्सों की संख्या निर्धारित करने एवं स्प्रिंग लोडेड बॉक्सों का ठीक प्रकार से रखरखाव सहित उनके ढक्कनों को ठीक प्रकार से बंद किए जाने हेतु सभी जोन के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया जाए, ताकि भीषण गर्मी के मौसम में स्प्रिंग लोडेड बॉक्सों में आगजनी की घटना को घटित होने से रोका जा सके ।

* प्रधानमंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री-माननीय श्री अरुण जेटली को पत्र प्रेषित कर, देश की ऐसी महिलाएँ अथवा बुजुर्ग जिनके पास पुराने पाँच सौ या एक हजार के एक, दो या पाँच नोट इस मूल्यवर्ग के हैं । उन्हें संभागीय स्तर पर देश की सबसे बड़ी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की चुनिन्दा शाखाओं में बदलने की सावधि व्यवस्था प्रदान करने की माँग की है, जिससे भारतीय करेन्सी के प्रति अविश्वास भी उत्पन्न नहीं होगा और सरकार के प्रति प्रशंसकों का उत्साह भी बना रहेगा । यह पीड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में बहुत अधिक है । इसलिए इस पर शीघ्र और उचित नीति बनाकर निर्णय किए जाने की माँग की गई है ।

* श्री एम. सेलवेन्द्रन, प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, चेम्बर ऑफ कॉमर्स में पधारने हेतु आमंत्रित किया गया, ताकि संस्था के सदस्य गण विद्युत वितरण कं. लि. से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर सकें ।

*****